| संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | | आज दिनांक 26/11/24 को पत्रावली पेश हुई पी.ओ.सा. अवकाश/अन्य राजकार्य पर/ कॉन्फ्रेंस है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18/12/24 को पेश हो। | |
| | 18/12/24 | पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप०। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 22.01.2025 को पेश हो<br>[signature]<br>सहायक कलक्टर<br>जयपुर शहर प्रथम | |
| | 22/1/25 | पत्रावली पेश हुयी। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी नं. 1 की ओर से जवाब प्राप्त होकर शामिल मिसल है। पत्रावली का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि प्रार्थी ने यह प्रा० पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 (ए) जाप्ता दीवानी बाबत न्यायालय अवमानना (contempt of court) पेश किया है, यह अवमानना प्रा० पत्र प्रार्थी ने एक वाद बाबत<br>[signature] | |

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

# फर्द अहकाम

नाम सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

[illegible] बनाम सरकार

केस संख्या [illegible]/2025

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
| --- | --- | --- |
| | 28/01/25 | स्थायी निषेधाज्ञा जो कि अंतिम रूप से दिनांक 15-01-2015 को निर्णीत हुआ है, की अवहेलना करने पर पेश किया है।<br>आदेश 39 नियम 2(ए), सिविल प्रक्रिया संहिता में व्यादेश की अवज्ञा या भंग के विषय में प्रावधान है, जो कि आदेश 39 नियम-1 व नियम-2 के अधीन प्रदत्त / दिए गए व्यादेश पर ही लागू होता है। आदेश-39 सिविल प्रक्रिया संहिता में अस्थायी व्यादेश और अन्तर्वर्ती आदेश के प्रावधान और प्रक्रिया वर्णित की गयी है।<br>प्रार्थी द्वारा पेश प्रा०पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2(ए)<br>[signature] |

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

# फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर
मुख्यालय शहर प्रथम

[illegible] बनाम [illegible]

संख्या [illegible] /3852

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 22/1/25 | सि० प्र० सं०, अंतिम रूप से निर्णीत आदेश अथवा डिक्री के विरुद्ध पेश की गयी है, जो कि आदेश 39 सि० प्र० सं० के scope से बाहर है।<br>आदेश 39 नियम 2-A, सि० प्र० सं०, केवल आदेश 39 नियम-1 व नियम-2, में जारी किए गए अस्थायी निषेधाज्ञा की अवमानना के संदर्भ में ही पेश किया जा सकता है, अंतिम आदेश/डिक्री की अवमानना के विरुद्ध यह प्रा०पत्र संधारणीय नहीं है।<br>अतः प्रार्थी का प्रा०पत्र अन्तर्गत ~~अस~~ आदेश 39 नियम 2A, CPC पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 22/1/25 को सुनाया गया।<br>[signature] | |

सहायक कलक्टर
मुख्यालय शहर प्रथम

# फर्द अहकाम

मोहनलाल बनाम सरकार

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या प्र0सं0 2140/2011/38/22

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रुप से |
|---|---|---|
| | 28/11/25 | फत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। <br> सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम |